(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

प्रकरण क्रमांक : III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2951

रामबाबू पुत्र हरचरन ---- अपीलार्थी
ग्राम - नागऊखेड़ी - शाढ़ोरा

बनाम

पुद्धि सिंह पुत्र कितु रिया ----प्रतिअपीलार्थी
ग्राम नागऊखेड़ी - शाढ़ोरा
जिला - अशोकनगर म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 राजस्व निरीक्षक वृत शढोरा द्वारा सीमाकंन दिनांक 22/06/2017 जलालपुर तहसील शढोरा जिला अशोक नगर। ग्राम नागऊखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर--297/1, सर्वे नं 344/1, रकवा 0.812 हेक्टेयर, के विरूद्ध जिसमें पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान नही की गयी।

मानानीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1 यह कि, ग्राम नागऊ खेड़ी में आवेदक कमांक 1 के स्वत्व की भूमि के निकट सर्वे कमांक 297/1, सर्वे नं 344/1 रकवा 0.812 इसी भूमि से लगी हुयी भूमि अनावेदकगण की है। दिनांक 22/06/2017 को मेढिया काश्तकारों को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना राजस्व निरीक्षक शढोरा एवं हल्का पटवारी ने आवेदक कमांक 1 की भूमि का सीमाकंन किया एवं आवेदक कमांक 1 की भूमि में से रकवा 0.627 एवं 0.185 हेक्टर भूमि मापकर अनावेदक कमांक 1 को दी। जिसकी सूचना आवेदक को नही दी गयी। मौके पर झगडे की स्थिति बनी तब अनावेदक कमांक 1 आवेदक की भूमि मो जुतवाने लगा। आवेदक द्वारा रोकने पर उसका सीमाकंन कराना एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि उसकी होने का तथ्य बताया तब तहसील में जाकर ज्ञात हुआ। किन्तु आज दिनांक तक राजस्व निरीक्षक ने अंतिम आदेश की प्रमाणित

sunil/F/Legal-2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/2951

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह उपस्थित होकर उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त शढ़ोरा तहसील व जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक सीजी/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.6.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता कि स्थल पंचनामा में सीमांकन दल के साथ ग्राम नगऊ खेड़ी सिति भूमि सर्वे कमांक 297/1, 344 रकवा 0.812 है0 का विधिवत सीमांकन किया गया है। समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दी गई एवं ग्राम कोटवार को स्थल पर बुलवाया गया। ग्राम नगऊ खेड़ी नक्शा के मुताबिक जरीब डालकर नाप की गई। राजस्व निरीक्षक वृत्त शढ़ोरा तहसील व जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक सीजी/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	